



दिनांक आज्ञा पत्र

10.10.22

पत्रवली पेश। सर्वोच्च अपीलाट को पूर्व पेशी पर हत्याकत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व आपील से शेष रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करे अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जायेगी। आज दिनांक तक अपीलांट ने रेस्पोंडेंटस के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये मये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलांट अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलाट आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय को इकतया सुनना गया। पत्रवली फौजदारी शुमार होकर नया के कर्म होकर सब तत्काल तहसील दायित दफ्तर हो।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर(कैम्प झुन्डुन)

[Faint handwritten notes and signatures at the bottom of the page]